न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती छायासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 176/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
चमेली (पुत्री करनाराम) पोती श्रीमती बांदली धर्मपत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी चोखाणियों की ढाणी (पूर्ण नगर) नांद तहसील व जिला बाड़मेर		1 जोधाराम पुत्र पूनमाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 करनाराम 1/2 मोटाराम 1/3 जेठाराम पिसरान जोधाराम 1/4 रामूदेवी पत्नी जोधा राम 2 चिमाराम 3 शेराराम पिसरान देदाराम 4 चुनी देवी धर्मपत्नी देदाराम 5 रूपाराम 6 गोमाराम 7 ऊमाराम पिसरान डालूराम 8 मगाराम 9 कंवराराम पिसरान उदाराम 10 निर्मला पुत्री उदाराम 11 मूली देवी धर्मपत्नी उदाराम 12 धाई देवी धर्मपत्नी विशनाराम 13 नेनू देवी धर्मपत्नी नारणाराम 14 रासींगाराम 15 देराजराम 16 हडुमानराम 17 दीपाराम पिसरान गोरधनराम 18 हेमाराम 19 नारणाराम पिसरान भैराराम 20 लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी चोखाणियों की ढाणी (पूर्ण नगर) नांद तहसील व जिला बाड़मेर 21 मोहनलाल पुत्र ताराचंद जाति ब्राहम्ण निवासी सुथारों का कुआ (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर 22 केशाराम पुत्र उगराराम 23 नोजीदेवी धर्मपत्नी सोनाराम जाति सुथार निवासी सुथारों का कुआ (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर 24 शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण 25 शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. शाखा कृषि उपज मण्डी बाड़मेर 26 शाखा प्रबन्धक, आर.एम. जी.बी. शाखा सनावड़ा तहसील बाड़मेर 27 तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 209 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील वादीनी।

निर्णय

दिनांक 28/08/2025

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीनी की दादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 20 के पैतृक खातेदारी अधिकारों के पुश्तैनी कब्जा काश्त की तथा वादीनी की दादी व प्रतिवादीगण 1 से 23 के खातेदारी अंकन की भूमि मौजा सुथारों का कुआ पटवार मण्डल हाथीतला तहसील—बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 732/482 रकबा 354.04 बीघा की आयी हुई हैं। वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 से 20 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं पुर्व पुरूष (वादीनी के पड़दादा) दुर्गा के वंशज हैं तथा हिन्दू विधि से शासित हैं, जिनकी वंश वृक्षावली निम्न प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhaya Singh
Date: 2025.10.28 12:10:39 IST
Reason: SelfAttested

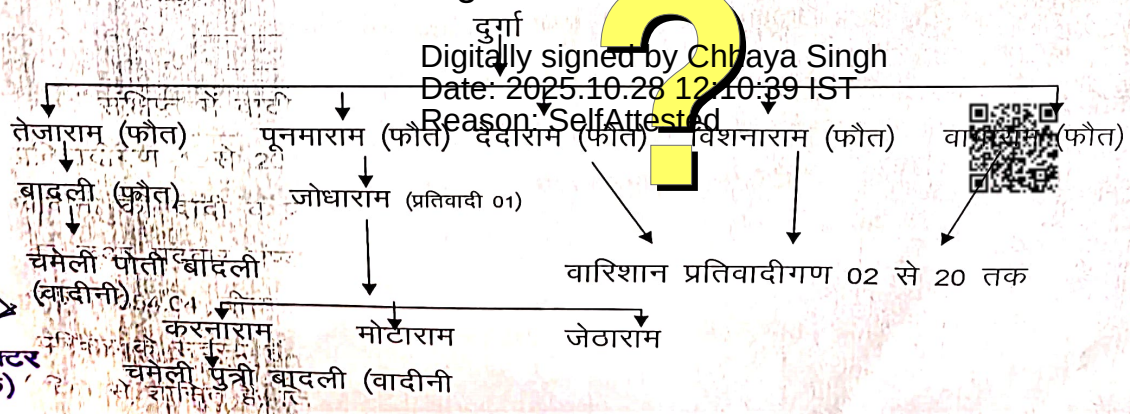

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

वादीनी के पड़दादा दुर्गाराम बन्दोबस्त के बाद फोत हुए जिनके वारिसान तेजाराम, पूनमाराम, देदाराम, विशनाराम, वागाराम पांच पुत्र थे जिनके नाम उक्त आराजी दर्ज हुई, तेजाराम के कोई सन्तान नहीं होने से तेजाराम के फौत होने पर उनके स्थान पर उनकी एकमात्र वारिसान उनकी पत्नि बादली का तेजाराम के हिस्से में तेजाराम के स्थान पर दर्ज हुआ, बादली के नाम दर्ज तेजाराम के 1381/7084 हिस्सा रकबा 69.01 बीघा भूमि में से रकबा 57.01 बीघा का हकत्याग जोधाराम पुत्र श्री पूनमाराम के पक्ष में कर दिया तथा शेष रकबा 12.00 बीघा जो कुल रकवा का 240/7084 हिस्सा है, बादली के नाम दर्ज है, उक्त वादग्रस्त बादली के नाम दर्ज हिस्सा 240/7084 रकबा 12.00 बीघा भूमि वादीनी को बादली ने अपनी सेवा के बदले मौजिज व्यक्तियों प्रहलादराम पुत्र श्री करनाराम जाति जाट निवासी नांद, घमुराम पुत्र श्री हरजीराम जाति जाट निवासी डुंगेरों का तला आदि लोगों व जोधाराग पुत्र श्री पूनमाराम निवासी हाथी तला जेठाराम पुत्र श्री जोधाराम निवासी हाथीतला करनाराम पुत्र श्री जोधाराम निवासी नांद आदि परिवार के सदस्यों के सामने मौखिक वसीयत कर दिया है, उक्त पैतृक संम्पति वादीनी (चमेली) मौखिक वसीयत से व सहदायिकी व उत्तरजीविता के सिद्धान्त के तहत अपने नाम घोषित करवाने अंकन करवाने की अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पर बादली के जीवनकाल से ही वादीनी का बादली के साथ रहवास होकर कब्जा काश्त है, बादली के वृद्धावस्था में बादली के हिस्से की भूमि पर काश्त मात्र वादीनी द्वारा की की जाती रही है व आज तक लगातार कब्जा काश्त भी वादिनी का ही है, वादीनी का सहदायिकी के तहत भी अधिकार है, तेजाराम के परिवार के रूप में भी वादीनी का पैतृक आराजी पर लगातार कब्जा काश्त रहवासीय ढाणी व बाड़े आदि बने हुए हैं। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति हैं व बादली ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण 240/7084 हिस्सा वादीनी की सेवा से प्रसन्द होकर वादिनी के पक्ष में परिवार व रिश्तेदारों एवं मौजीज लोगों के सामने वसीयत करने से एवं बादली की पैतृक सम्पति पर लागू कानूनों, प्रावधानों, व हिन्दू विधि के उत्तराधिकारी के उत्तरजीविता का सिद्वान्त व सहदायिकी के प्रावधानों से वादीनी का हक हकुक पैदा हो गया है। इसी माफिक वादीनी वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड में बादली के नाम दर्ज 240/7084 हिस्से का अपने नाम से खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है, तथा दावा बादली के स्थान पर अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश हैं। लिहाजा वादीनी का वाद [illegible] कर मौजा [illegible] का कुआ पटवार मण्डल हाथीतला तहसील–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 732[illegible]32 रकबा 354.04 बीघा अर्थात 57.3358 हैक्टेयर भूमि में बादली के नाम दर्ज हिस्सा 240/7084 रकबा 12.00 बीघा भूमि वादीनी के नाम खातेदारी में घोषित करवाने [illegible] वादीनी अधिकारी है।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। कोई हाजिर नहीं होने से प्रतिवादीगण एकतरफा।

वकील वादीनी की बहस सुनी गई। वकील वादीनी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र वादीनी स्वयं चमेली पुत्र करनाराम जो पीडब्ल्यू–1 है, स्वतंत्र गवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhaya Singh
Date: 2025.10.28 12:10:39 IST
Reason: SelfAttested

...पक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

हलादराम पुत्र करनाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो पीडब्ल्यू–2 है, एवं प्रतिवादी सं0 1/3 जेठाराम पुत्र जोधाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो पीडब्ल्यू–03 है, वाद के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2074–2077 पेश किया जो प्रदर्श–01 है, नक्शा प्रदर्श –02 है, आधार कार्ड प्रदर्श –03ए है, बादली का जनाधार कार्ड प्रदर्श–4ए है, बादली का आधार कार्ड प्रदर्श –5ए है, बादली का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –6ए एवं राशनकार्ड प्रदर्श–7ए है, प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गये।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 एवं गवांहन के ब्यान एवं एवं प्रदर्श दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीनी अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सकी है तथा न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि वादीनी को स्व. बादली द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसियत की गई हो। वादीनी द्वारा स्व. बादली के उतराधिकार एवं बसीयत के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वादीनी द्वारा पेश गवाह जेठाराम पुत्र जोधाराम वादीनी का भाई है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीनी को स्व. बादली द्वारा अपने जीवनकाल में वसियत की गई हो ऐसा कथन मानने योग्य नही है। वादीनी वाद को साबित करने में विफल रही है। लिहाजा वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली के अवलोकनापरान्त वादीनी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है। अतः वादीनी का वाद प्रमाणित करने में विफल रहने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

(छायासिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhaya Singh
Date: 2025.10.28 12:10:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर